

[2023] 3 एस. सी. आर. 676

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य

बनाम

कमलेश रानी भाटला

(2023 की सिविल अपील सं. 1927)

23 मार्च, 2023

[न्यायमूर्तिगण अनिरुद्ध बोस और कृष्णा मुरारी]

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972:आर. 26 (4)-इस्तीफे पर सेवा की बरामदगी-इस्तीफा वापस लेना-तथ्यों के आधार पर, प्रत्यर्थी ने चुनाव लड़ने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया-वह चुनाव हार गई और उसके बाद, इस्तीफे को वापस लेने के लिए आवेदन किया-आवेदन लंबित रखा गया-उसने फिर रिट याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्मल वर्मा के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए अपने इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध का निपटारा करने का निर्देश दिया-प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व को अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह काम करते समय राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आरोप पत्र दायर की गई थी-प्रत्यर्थी द्वारा फिर से आवेदन-प्राधिकरण को निर्देश के साथ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई।इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के बाद भी इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने में नियोक्ता पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है-नियम 26 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है-इस्तीफा या तो कानून की शर्त से या उसकी स्वीकृति से प्रभावी हो सकता है-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय का पहला आदेश नियोक्ता को निर्मल वर्मा के मामले के संदर्भ में निर्णय लेने का निर्देश था, जिसका अर्थ है कि उसकी निकासी याचिका की जांच एक दिए गए पैरामीटर के भीतर की जानी चाहिए थी और चूंकि नियोक्ता ने कभी भी उस निर्देश को चुनौती नहीं दी थी, जिसके भीतर उन्हें प्रत्यर्थी की वापसी याचिका पर विचार करना था, इसलिए उस पैरामीटर के भीतर विचार किए जाने वाले प्रत्यर्थी के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया था-अधिकारी उस पैरामीटर से आगे नहीं जा सकते थे और न ही गए थे-अधिकारी। अस्वीकृति के आदेश ने यह रुख नहीं अपनाया कि एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, इस्तीफे को वापस नहीं लिया जा सकता है-अपीलार्थियोंओं ने भी अपने अस्वीकृति आदेश को इस आधार पर तर्क नहीं दिया कि प्रत्यर्थी के इस्तीफे देने का कोई ठोस कारण नहीं था-दोनों मंचों ने राय दी कि प्रत्यर्थी के मामले को निर्मल वर्मा के मामले के अनुपात से केवल उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के बल पर अलग नहीं किया जा सकता है-इस्तीफा केवल उसकी स्वीकृति और आर के उप-नियम (4) पर प्रभावी हो सकता है। 26 उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें इस्तीफे के प्रभावी होने के बाद भी वापस लिया जा सकता है-इस्तीफे को वापस लेने के लिए प्रतिवादी की याचिका को उसमें बताए गए आधारों

पर खारिज कर दिया गया था-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क को अस्थिर पाया-न्यायाधिकरण के फैसले को बनाए रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

निर्मल वर्मा बनाम एम. सी. डी. और अन्न. [निर्णय दिनांकित **18-03-2005** दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. (सी) नं. **3303/2003**]; शिक्षा निदेशालय बनाम मनीषा

शर्मा [WP (C) 8494/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 28-11-2019]; हरियाणा राज्य और

अन्य बनाम राम कुमार मान (**1997**) 3 एस. सी. सी. **321** - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[1997] 2 एससीआर 329 पर भरोसा किया गया |

पैरा **11**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- 2023 की सिविल अपील सं. 1927।

2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1118 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.10.2019 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री माधवी गोर्डी दीवान, ए. एस. जी., सुश्री नीला केदार गोखले, वी. वी. वी. पट्टाभिरमन, सुश्री निधि खन्ना, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एम. एस. सैनी, जतिंदर पाल सिंह, सुश्री रीमा चावला, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय अनिरुद्ध बोस, जे द्वारा दिया गया था-

अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थियों दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हैं, जो वास्तव में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को कायम रखता है जिसमें प्रत्यर्थी को अपना इस्तीफा वापस लेने और उसे फिर से कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति देने की अनुमति दी गई है। समय के भौतिक बिंदु पर, प्रत्यर्थी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के तहत एक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, जो हमारे सामने अपीलार्थियों हैं। उन्होंने 22 मार्च 2012 को अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वह दिल्ली नगर निगम के काउंसलर के पद के लिए चुनाव में भाग लेना चाहती थीं। उनके इस्तीफे के अनुरोध को अधिकारियों ने 29 मार्च को ही स्वीकार कर लिया था, जो 22 मार्च 2012 से प्रभावी था। हालाँकि, वह चुनाव हार गई, जो उसी वर्ष अप्रैल के महीने में हुआ था। 21 अप्रैल 2012 को, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने और विचाराधीन पद के लिए फिर से कर्तव्य में शामिल होने के लिए आवेदन किया। हालाँकि, वर्ष 2013 और 2014 में कई बार याद दिलाने के बावजूद इस आवेदन को लंबित रखा गया था।

3. इसके बाद प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। यह डब्ल्यू. पी. के रूप में पंजीकृत था। (ग) 2014 की सं. 1522 और उक्त याचिका का निपटारा 20 मार्च 2014 को निम्नलिखित निर्देशों और आदेश के साथ किया गया था:-

“6. याची इस तथ्य से व्यथित है कि उसके अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याची ने जाहिर तौर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर. टी. आई. अधिनियम) का भी सहारा लिया है। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत किए गए आवेदन के संबंध में, याची को हालांकि प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. से दिनांकित 18.01.2013 का जवाब मिला है। 1 और 2, जो केवल यह इंगित करते हैं कि इस्तीफे को वापस लेने के उनके अनुरोध के संबंध में निर्णय है? प्रक्रिया में है।

7. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, प्रतिवादी मामले में निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए, रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थियों को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे याची के इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध पर विचार करें और उसके बाद उसका निपटारा करें; भले ही एक बोलने वाले आदेश द्वारा शीघ्रता से आवश्यक कार्य किया जाएगा, हालांकि आज से 10 सप्ताह के बाद नहीं। पारित आदेश की प्रति याची को दी जाएगी। प्रतिवादी, आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय के दिनांक 18.03.2005 पर भी ध्यान देंगे, जो WP (C) संख्या 3303/2003 में पारित किया गया है, जिसका शीर्षक निर्मल वर्मा बनाम एम. सी. डी. और ए. एन. आर. है।

8. रिट याचिका और आवेदन का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।”

(पुस्तक से शब्दशः उद्धृत)

4. 14 मई 2015 को शिक्षा उप निदेशक, जिला दक्षिण पूर्व, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया था:-

“... और जहां, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 3303/2003 में दिनांकित 18.03.2005 के निर्णय के परिचालन भाग को निम्नानुसार फिर से प्रस्तुत किया गया है; -

“... इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऊपर उल्लिखित मामलों में और साथ ही दुर्गेश मोहनपुन के मामले में, जो याचिकाकर्ता के मामले के बाद संसाधित नवीनतम मामला है, प्रत्यर्थियों ने एक सुसंगत स्थिति ली है कि कानूनी रूप से उनके लिए इसकी स्वीकृति के बाद इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने की अनुमति है और सेवा की बहाली की प्रथा का पालन किया है। याचिकाकर्ता के मामले में भी तदनुसार याचिकाकर्ता के मामले को हराने के लिए एक अलग मानदंड या विपरीत कानूनी प्रस्तुति को अपनाने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। याची ने भी किया था। उनके इस्तीफे की स्वीकृति के एक महीने के भीतर और चुनाव हारने के एक सप्ताह के भीतर सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 (4) के अनुसार इस्तीफे को वापस लेने

की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि याची का अच्छा रिकॉर्ड नहीं था या वह किसी भी कदाचार का दोषी था: या अनुचितता या यह सत्यनिष्ठा आदि पर किसी संदेह का मामला है। याची की सेवा में बहाली से इनकार करना और किसी भी विशिष्ट विशेषता के अभाव में याची के साथ दूसरों के समान व्यवहार नहीं करना, प्रतिवादी की कार्रवाई को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी के अनुसार समानता से इनकार करने के समान बनाता है। इस संबंध में सेंगरा सिंह और ओ. आर. एस. बनाम. पंजाब राज्य और अन्य। पर रिपोर्ट किया गया "और यद्यपि श्रीमती कमलेश रानी भाटिया के मामले की बराबरी निर्मल वर्मा मामले के बराबर नहीं की जा सकती है।।

अब, इसलिए, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, श्रीमती कमलेश रानी भाटिया के इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध पर विचार किया जाता है और कोई योग्यता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

यह, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और डब्ल्यू. पी. में पारित माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20.03.2014 के आदेश के अनुपालन के साथ जारी किया जाता है। (C) नहीं 1522/2014।"

(पुस्तक से शब्दशः उद्धृत)

5. इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक टर्मिनल के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (4) पर भरोसा करते हुए 20 मार्च 2017 को दिए गए एक फैसले में प्रतिवादी के मामले को बरकरार रखा, मुख्य रूप से 18 मार्च 2005 को लिखित याचिका (सिविल) No.3303/2003 में दिए गए "निर्मल वर्मा-बनाम-एम. सी. डी. और ए. एन. आर". मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

6. हम न्यायाधिकरण के आदेश से पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा इसके समक्ष जो मुख्य तर्क दिया गया था, वह यह था कि निर्मल वर्मा (उपरोक्त) का मामला इस अर्थ में अलग था कि उस मामले में आवेदक को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था, जबकि प्रत्यर्थी के मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आरोप पत्र 4 सितंबर 2011 को जारी किया गया था और आरोप के दो लेख काम करते समय राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी से संबंधित थे। शुल्क ज्ञापन के अनुलग्नक II में निर्धारित किया गया है:-

“परिशिष्ट II एस. एम. टी., कमलेश रानी बाटला, ए. एस. एस. टी. टी. के खिलाफ जिम्मेदारियों के लेख के समर्थन में गलत/गलत धारणा के प्रभाव का विवरण। शिक्षक।

लेख-।

श्रीमती. कमलेश रानी बाटला, सरकारी नौकरी में सहायक शिक्षिका। सर्वोदय कोएड। मिडिल स्कूल, जे-ब्लॉक, संगम विहार, नई दिल्ली ने अपने कार्यकाल के दौरान ए.

बी. एस. पी., राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा विभाग को सूचित किए बिना या अनुमति लिए बिना।
लेख-II

श्रीमती. कमलेश रानी बाटला, सरकारी नौकरी में सहायक शिक्षिका। सर्वोदय कोएड।मिडी स्कूल, जे-ब्लॉक, संगम विहार, नई दिल्ली और चुनाव की अवधि के दौरान बी. एस. पी. के लिए प्रचार करना और नारे लगाना जैसा कि सी. डी. और फोटो क्लिपिंग से स्पष्ट होता है।

इस प्रकार, उन्होंने सी. सी. एस. आचरण नियम, 1964 के नियम 3 का उल्लंघन किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है।”

(कागजी पुस्तक से शब्दशः उद्धृत)

7. जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा केवल यह तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी को उसके इस्तीफे से पहले आरोप पत्र जारी किया गया था। उस आधार पर, अधिकारी निर्मल वर्मा (उपरोक्त) के मामले के संबंध में उनके मामले में अंतर करना चाहते थे। न्यायाधिकरण ने अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया:-

“5. प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा प्रस्तुत एकमात्र तर्क कि आवेदक को उसके इस्तीफे से पहले आरोप पत्र जारी किया गया था और तदनुसार आवेदक का मामला निर्मल वर्मा के समान आधार पर नहीं खड़ा हो सकता है, जिस पर उसने भरोसा किया था, इस सरल कारण से उचित नहीं लगता है कि यदि आवेदक को आरोप पत्र जारी किया गया था तो यह प्रत्यर्थियों के अधिकार क्षेत्र में था कि वे उसका इस्तीफा स्वीकार न करें और वे सतर्कता मंजूरी जारी नहीं कर सकते थे। एक बार जब उत्तरदाताओं ने आवेदक के संबंध में सतर्कता मंजूरी दे दी है और उसे एम. सी. डी. चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है, तो मेरी सुविचारित राय में, उत्तरदाताओं को आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र के लंबित होने की याचिका लेने से रोक दिया जाता है। मेरा यह भी विचार है कि प्रतिवादी अपनी क्षमता के भीतर थे कि वे आवेदक के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि कोई जांच लंबित है, तो उन्हें जांच में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसलिए, इस स्तर पर, आरोप पत्र के लंबित होने की उपरोक्त याचिका को लेना और निर्मल वर्मा के मामले (उपरोक्त) के साथ वर्तमान मामले के चरित्र को अलग करना, यह दर्शाता है कि उनका त्यागपत्र वापस लेने के लिए आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रत्यर्थियों के पास निहित है।

चूंकि सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 के तहत निर्धारित सभी शर्तें आवेदक द्वारा संतुष्ट हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार करने का उत्तरदाताओं का रुख इन परिस्थितियों में कानून के विपरीत होने के अलावा उचित नहीं है।

6. निर्मल वर्मा के मामले (उपरोक्त) में फैसले को देखते हुए, मैंने पाया कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने इसी तरह से याची के मामले को नियम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी और प्रतिवादियों को याची के अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि वह अपना इस्तीफा वापस ले सके और उसे अपने कर्तव्यों में वापस शामिल होने की अनुमति भी

दे।इसलिए, निर्मल वर्मा के मामले (उपरोक्त) में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समान अनुपात को अपनाते हुए, मैं तत्काल ओ. ए. को प्रतिवादियों को निर्देश देता हूं कि वे अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदक के मामले को संसाधित करें और उसे सहायक शिक्षक के रूप में कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति दें और बीच की अवधि भी परिणामी लाभों के साथ मौजूदा नियम के अनुसार तय की जाए। हालांकि, प्रतिवादी नियमों के अनुसार लंबित आरोप पत्र, यदि कोई हो, के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई लागत नहीं।”

(कागजी पुस्तक से शब्दशः उद्धृत)

8. उच्च न्यायालय ने आदेश में यह कहते हुए आपत्ति जताई कि प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी और यहां तक कि उसका इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उसे सतर्कता मंजूरी भी दी गई थी, अपीलार्थी अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

9. हमारे सामने, अपीलार्थी की ओर से, सुश्री दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है

शिक्षा निदेशालय-बनाम-मनीषा शर्मा के मामले में डब्ल्यू. पी. (ग) 8494/2015 28 नवंबर 2019 को तय किया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस फैसले में निर्मल वर्मा (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का उल्लेख किया था और कहा था:-

“14. न्यायालय निर्मल वर्मा बनाम एम. सी. डी. (उपरोक्त) के इस तर्क से सहमत नहीं है कि चूंकि उम्मीदवार की ओर से कोई कदाचार नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्मल वर्मा बनाम एम. सी. डी. (ऊपर) में जिस बात पर ध्यान नहीं दिया गया वह यह है कि इस्तीफे पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी और नियम 26 (4), किसी भी स्थिति में, आकर्षित नहीं हुआ था।”

10. सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 में कहा गया है:-

“26. त्यागपत्र पर सेवा का अभिग्रहण।-

(1) किसी सेवा या पद से इस्तीफा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, पिछली सेवा को जब्त कर लिया जाता है।

(2) इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि इसे उचित अनुमति के साथ, सरकार के तहत एक और नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां सेवा योग्य है।

(3) उप-नियम (2) के तहत आने वाले किसी मामले में सेवा में व्यवधान, क्योंकि दोनों नियुक्तियां अलग-अलग स्टेशनों पर होती हैं, स्थानांतरण के नियमों के तहत अनुमेय जुड़ने के समय से अधिक नहीं, राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी के अनुदान या औपचारिक माफी द्वारा कवर किया जाएगा, जिस हद तक अवधि उसके कारण छुट्टी के दायरे में नहीं आती है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर लोक हित में अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:-

(i) कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तीफा कुछ मजबूर करने वाले कारणों से दिया गया था, जिसमें उनकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण पर कोई प्रतिबिम्ब शामिल नहीं था और इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिन्होंने मूल रूप से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था;

((ख) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ और जिस तारीख से वापस लेने का अनुरोध किया गया था, उसके बीच की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था।

((ग) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, उसके बीच कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं है।

((iv) वह पद, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने इस्तीफे या किसी अन्य तुलनीय पद की स्वीकृति पर खाली किया गया था, उपलब्ध है।”

(5) इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी में या उसके तहत या किसी निगम या कंपनी में या उसके तहत या पूरी तरह से या काफी हद तक सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में या उसके तहत नियुक्ति लेने की दृष्टि से अपनी सेवा या पद से इस्तीफा देता है।

(6) जब नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को अपना इस्तीफा वापस लेने और कर्तव्य फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाला आदेश पारित किया जाता है, तो आदेश में सेवा में व्यवधान की माफी शामिल मानी जाएगी, लेकिन व्यवधान की अवधि को योग्यता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(7) नियम 37 के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए गए इस्तीफे में सरकार के तहत पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा।”

11. मनीषा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में, खंड पीठ ने राय दी कि उन परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो मूल रूप से प्रत्यर्थी को अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती हैं और प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह चुनाव लड़ने का इरादा रखती थी। यह भी माना गया कि एक बार इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद, पदधारी यह तर्क नहीं दे सकती थी कि वह अपना इस्तीफा देने के लिए किसी भी मजबूरी में थी। एक बार इस्तीफे पर कार्रवाई हो जाने के बाद, किसी व्यक्ति को इस तरह के इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं था। यह इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण था

हरियाणा राज्य और अन्य का मामला-बनाम-राम कुमार मान [(1997) 3 एससीसी 321]। 12. जहाँ तक इस मामले के तथ्यात्मक संदर्भ का संबंध है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, उच्च न्यायालय का पहला आदेश नियोक्ता को निर्णय लेने का निर्देश था। उस समय निर्मल वर्मा (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात प्रबल था और उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को हमारे समक्ष प्रत्यर्थी की याचिका पर विचार करते हुए उक्त अनुपात के संदर्भ में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि निर्णय और अस्वीकृति निर्णय 20 मार्च 2014 को पारित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर लिया गया था। एकमात्र कारण कि प्रत्यर्थी का वापस लेने का अनुरोध इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया था कि उनके खिलाफ आरोपों का एक ज्ञापन जारी किया गया था। अधिकारियों ने अस्वीकृति के क्रम में यह रुख नहीं अपनाया कि एक बार स्वीकार करने के बाद, इस्तीफा वापस नहीं लिया जा सकता है। इस मामले के किसी भी स्तर पर, जिसमें दो दौर की मुकदमेबाजी हुई, अधिकारियों ने वह मुद्दा नहीं उठाया था जो मनीषा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में फैसले का आधार बना। अपीलार्थियों ने अपने अस्वीकृति आदेश का कारण भी इस आधार पर नहीं बताया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपना इस्तीफा देने का कोई ठोस कारण नहीं था। कार्यवाही के दूसरे दौर में, जिससे यह अपील उत्पन्न होती है, न्यायाधिकरण को इस्तीफे को वापस लेने के लिए प्रतिवादी की याचिका को अस्वीकार करने का औचित्य स्वीकार्य नहीं लगा। हम इस निर्णय में प्रतिवादी के मामले को बनाए रखने में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क को पहले ही दोहरा चुके हैं। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष भी विवाद प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने तक ही सीमित रहा। दोनों मंचों ने राय दी कि प्रतिवादी के मामले को निर्मल वर्मा (उपरोक्त) के मामले के अनुपात से केवल उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के बल पर अलग नहीं किया जा सकता है।

13. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखने के बाद, जो प्रत्यर्थी के पक्ष में गया, 28 नवंबर 2019 को मनीषा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ का फैसला सुनाया गया। इस निर्णय में, खंड पीठ ने नियम 26 (4) में निर्दिष्ट शर्तों का विश्लेषण करने पर पाया कि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने के बाद, उसमें प्रत्यर्थी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सका कि वह मजबूरी में थी। यह भी माना गया कि एक बार इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है, तो किसी व्यक्ति को इस तरह के इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, उस आधार का उपयोग प्रतिवादी के वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया गया था। इसके अलावा, जिस मापदंड के आधार पर अधिकारियों को इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, वह स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। जिस सीमा के भीतर अधिकारियों को पदधारी की याचिका की जांच करनी थी, उस पर अधिकारियों द्वारा किसी भी मंच के समक्ष सवाल नहीं उठाया गया था। दूसरी ओर, उन्होंने उक्त मापदंड को स्वीकार कर लिया और याचिका को खारिज कर दिया जिससे उच्च न्यायालय द्वारा सीमांकित सीमा के भीतर उनके विचार को सीमित कर दिया गया।

14. हमारी राय में, इस मामले के संदर्भ में, मनीषा शर्मा (उपरोक्त) के अनुपात को लागू नहीं किया जा सकता है। हम उक्त निर्णय में खंड पीठ द्वारा नियम 26 (4) को दी गई व्याख्या को

कानून के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करते हैं।लेकिन यहाँ प्रत्यर्थी के मामले में, उसे निकासी याचिका की जांच एक दिए गए पैरामीटर के भीतर की जानी आवश्यक थी और चूंकि नियोक्ता ने कभी भी उस निर्देश को चुनौती नहीं दी थी जिसके तहत उन्हें प्रत्यर्थी की निकासी याचिका पर विचार करना था, इसलिए उस पैरामीटर के भीतर प्रत्यर्थी के अधिकार पर विचार किया गया था।अधिकारी उस मापदंड से आगे नहीं जा सके और न ही गए।

15. अब सवाल यह उठता है कि क्या हम उच्च न्यायालय द्वारा बाद में उक्त नियम 26 (4) को दी गई व्याख्या के आधार पर नियोक्ता के निर्णय में अतिरिक्त तर्क डाल सकते हैं।अंततः, हम इस अपील में जिस पर विचार कर रहे हैं, वह एक नियोक्ता का निर्णय है जो अस्वीकृति आदेश में निर्धारित कुछ आधारों के आधार पर स्वामी-सेवक संबंध को समाप्त कर रहा है।यह एक तथ्य है कि नियम 26 (4) प्रत्यर्थी के मामले में काम करता है और यदि हमने पाया था कि उच्च न्यायालय का पहला निर्णय उक्त नियमों के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत था, तो हमने मनीषा शर्मा (उपरोक्त) के मामले में निहित तर्क पर आधारित सुश्री दीवान के तर्क को स्वीकार कर लिया होगा।लेकिन उक्त प्रावधान के अनुसार, हम यह नहीं पाते हैं कि इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद भी उसे वापस लेने की अनुमति देने में नियोक्ता पर पूर्ण प्रतिबंध है।उक्त नियम 26 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।इसके अलावा, नियम 26 के उप-नियम (4) में कुछ स्थितियों की परिकल्पना की गई है जिसमें इस्तीफे के प्रभावी होने के बाद भी इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।नियम 26 (4) के उपखंड (ii) और (iii) में विचार की गई स्थितियां प्रभावी होने के बाद इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देती हैं।त्यागपत्र या तो कानून की शर्त से या उसकी स्वीकृति से प्रभावी हो सकता है।पूर्व स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, कुछ वैधानिक साधनों में त्याग पत्र देने के बाद नियोक्ता द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर कोई निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में इस्तीफे के प्रभावी होने के प्रावधान हो सकते हैं।यहाँ ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस्तीफा केवल उसकी स्वीकृति पर ही प्रभावी हो सकता है और नियम 26 का उप-नियम (4) ऐसी स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें इस्तीफा प्रभावी होने के बाद भी वापस लिया जा सकता है।हालाँकि, यह प्रश्न यहाँ नहीं उठता है क्योंकि हम इस निर्णय में जिस बात की जांच कर रहे हैं, वह उस आदेश की वैधता है जिसके द्वारा इस्तीफे को वापस लेने के लिए प्रतिवादी की याचिका को आदेश में ही बताए गए आधार पर खारिज कर दिया गया था।न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क को अस्थिर पाया।

16. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हमारी राय में न्यायाधिकरण के फैसले को बनाए रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।सभी जुड़े हुए आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

18. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: अनुराग अग्रवाल, एलसीआरए)